कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक / राजस्व / 12–8 (1) 18 / 430 दिनांक : 08 / 06 / 2020

निमित,

अधिशाषी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
खण्ड़ चित्तौड़गढ़

विषय : वन विभाग की भूमि में से पाईप लाईन गुजारी जाने के लिये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा पत्र दिनांक 27.08.2018 से अमृत पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम किले की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम किले के लिए खसरा नंबर 1176 वन विभाग की भूमि में से 200 मिमी. व्यास की पाईप लाईन गुजारी जाने के लिये 0.0160 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाने का निवेदन किया गया।

उक्त पत्र पर उपखण्ड़ अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.05.2020 में निर्णय अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मय दस्तावेजों के संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उक्तानुसार

(मुकेश कुमार कलाल)
प्रभारी अधिकारी, राजस्व
(अति. कलक्टर, प्रशासन)
चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/12–8(1)18/428 दिनांक : 08/06/2020

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 27.05.2020 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11–9/98–एफसी दिनांक 03.08.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला चित्तौड़गढ़ में अमृत पेयजल योजनान्तर्गत 200 मिमी. व्यास की पाईप लाईन गुजारी जाने के लिये ग्राम किले की आ.सं. 1176 में से 0.0160 हैक्टेयर वन भूमि प्रस्तावित होने एवं उक्त भू भाग के लिये प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, चित्तौड़गढ़ की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वन क्षेत्र में कुल 0.0160 हैक्टेयर का क्षेत्र भूमि प्रत्यावर्तन (Diversion) की जानी प्रस्तावित है इसमें किसी भी प्रकार के वनाधिकार पत्र ना होने व वनाधिकार की कोई कार्यवाही लम्बित न होने से से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त ग्राम किले तहसील चित्तौड़गढ़ की 0.0160 हैक्टेयर भू भाग के लिये वनाधिकार अधिनियम की दृष्टि से प्रत्यावर्तन (Diversion) किये जाने की प्रासंगिक आलोक में अनुशंषा की जाती है। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र पृथक से जारी किया जावे।

उप वन संरक्षक, उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ जिला परिषद, चित्तौड़गढ़	जिला कलक्टर, जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़
(सपना मीना) N.P. सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति)	(शम्भूलाल जाट) N.P. सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति)	(ललिता भील) N.P. सदस्य, जिला परिषद (मनोनीत सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति)

Scanned by CamScanner

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Chittorgarh

N0.Rev./12-8(1)18/423 Dated : 08 -06-2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013, 5th July 2013 and 15th Jan 2014 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.0160 Hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Health & Engineering Department** (Name of User Agency) for laying of **Pipe Line** (Purpose for diversion of forest land) Kila Range and Chittorgarh forest division of Chittorgarh District falls within jurisdiction of villages **Kila, Chittorgarh (Forest Compartment Distt. Chittorgarh Total AARAJI No. 1 area 0.0160 Hectare) Chittorgarh tehsil, Chittorgarh District**.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire total **0.0160 Hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s); Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 & 2 respectively.

b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered S.D.L.C. of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

c) the each of concerned S.D.L.C., has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, A copy of certificate issued by the S.D.L.C. of Kila Chittorgarh as annexure 1.

d) the discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the S.D.L.C. present.

e) the diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and S.D.L.C. have given their consent to it ;

f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : As above

कार्यालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़

जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

District Collector,
Chittorgarh

Scanned by CamScanner

14885
3/10/19

(राजस्थान सरकार)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक :राजस्व / 2019 / 806 दिनांक 30 सितम्बर, 2019

प्रेषिति,

श्रीमान जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़।

राज नि
3-10-19

विषय : अमृत पेयजल योजना(शहरी जलयोजना चित्तौड़गढ़) के अन्तर्गत 0.0160 है0 वन भूमि का एफआरए सर्टिफिकेट जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 12–12()18 / 886 दिनांक 14.08.2019।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अमृत पेजयल योजना (शहरी जलयोजना चित्तौड़गढ़) के अन्तर्गत ग्राम किले की आराजी संख्या 1176 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से 200 मि0मी0 व्यास की पाईप लाईन डाली जाने के लिये 0.0160 है0 वन भूमि के लिए एफआरए प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु राजस्व रिकार्ड के सम्बन्ध में जांच कर वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाने में किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं है के सम्बन्ध में जांच कर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की अभिशंषा के साथ प्रतिवेदन चाहा गया था।

अतः आज दिनांक 30.09.2019 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक (बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न है) आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्राम किले की आराजी संख्या 1176 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से 200 मि0मी0 व्यास की पाईप लाईन डाली जाने के लिये 0.0160 है0 वन भूमि के लिए एफआरए प्रमाण पत्र जारी किया जावें तो इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

(राजस्थान सरकार)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक :राजस्व/2019/ 305 दिनांक 30 सितम्बर, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.09.2019 को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अमृत पेजयल योजना (शहरी जलयोजना चित्तौड़गढ़) के अन्तर्गत ग्राम किले की आराजी संख्या 1176 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से 200 मि0मी0 व्यास की पाईप लाईन डाली जाने के लिये 0.0160 है0 वन भूमि के लिए एफआरए प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में हेतु भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक/11–9/98–एफसी दिनाक 03.08.2009 में दिये गये निर्देशानुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, चित्तौड़गढ़ की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्राम किले की आराजी संख्या 1176 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से 200 मि0मी0 व्यास की पाईप लाईन डाली जाने के लिये 0.0160 है0 वन भूमि के लिए एफआरए प्रमाण पत्र जारी किया जावें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, चित्तौड़गढ़ द्वारा ग्राम किले की आराजी संख्या 1176 जो कि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, में से 200 मि0मी0 व्यास की पाईप लाईन डाली जाने के लिये 0.0160 है0 वन भूमि के लिए एफआरए प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अनुशंषा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ	वन विभाग का भार साधक अधिकारी	विकास अधिकारी पंचायत समिति चित्तौड़गढ
1/10/19 (झमकु लाल ओड़) मनोनित सदस्य उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति	(विक्रम मीणा) मनोनित सदस्य उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति	(नारायणी बाई भील) मनोनित सदस्य उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति

Scanned by CamScanner